न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 93/2021

उमरावसिंह पुत्र मुंगसिंह राजपुत, निवासी ढाणी मीनावाली तन संजयनगर, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम उमरावसिंह अं0धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956
मुकदमा नम्बर 100/2020 निर्णय दिनांक 22.01.2021

उपस्थिति :—

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता ——————————अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, अधिवक्ता ———————— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

— निर्णय — दिनांक 25.04.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.01.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम उपरावसिंह मुकदमा नम्बर 100/2020 अं. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है — कि जमीन हाल खसरा नम्बर 988 रकबा 0.37 हैक्टर सरहद ग्राम संजयनगर पटवार हल्का रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलान्ट को उक्त विवादित भूमि पर पत्थरों का पारा लगाकर एवं निर्माण कर अतिक्रमण करने का दोषी मानकर बेदखल किये जाने व जुर्माने के आदेश पारित किये है। जबकि मौजूदा प्रकरण में धारा 91 राज0 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। उक्त विवादित भूमि पहले तत्कालिन ठिकाना की जमीन थी। उक्त जमीन को अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:41 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

के पूर्वजों ने ठिकाना से लगान के बदले काश्त हेतु प्राप्त कर बतौर टिनेन्ट काबिज काश्त रहे तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने पर उक्त जमीन के खातेदार अपीलान्ट के पूर्वज हुए तथा उक्त जमीन के खातेदार बाई आपरेशन ऑफ लॉ उक्त जमीन के खातेदार अपीलान्ट के पूर्वज हुए तथा उक्त जमीन बाद उतराधिकार में अपीलान्ट को प्राप्त हुई। इस प्रकार बतौर स्वामी उक्त जमीन अपीलान्ट के कब्जा काश्त की है। यह जमीन खसरा गिरदावरी के मुताबिक काश्त योग्य जमीन है जिसे राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज कर रखी है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय को निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 988 रकबा 0.37 हैक्टर सरहद ग्राम संजयनगर पटवार हल्का रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलान्ट को उक्त विवादित भूमि पर पत्थरों का पारा लगाकर एवं निर्माण कर अतिक्रमण करने का दोषी मानकर बेदखल किये जाने व जुर्माने के आदेश पारित किये है। जबकि मौजूदा प्रकरण में धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागु नही होते है। उक्त विवादित भूमि पहले तत्कालिन ठिकाना की जमीन थी। उक्त जमीन को अपीलान्ट के पूर्वजों ने ठिकाना से लगान के बदले काश्त हेतु प्राप्त कर बतौर टिनेन्ट काबिज काश्त रहे तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने पर उक्त जमीन के खातेदार अपीलान्ट के पूर्वज हुए तथा उक्त जमीन के खातेदार बाई आपरेशन ऑफ लॉ उक्त जमीन के खातेदार अपीलान्ट के पूर्वज हुए तथा उक्त जमीन बाद उतराधिकार में अपीलान्ट को प्राप्त हुई। इस प्रकार बतौर स्वामी उक्त जमीन अपीलान्ट के कब्जा काश्त की है। यह जमीन खसरा गिरदावरी के मुताबिक काश्त योग्य जमीन है जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:41 IST
Reason: SelfAttested
अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज कर रखी है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट ने मौजा ग्राम ढाणी मीनावाली तन संजयनगर ने खसरा नम्बर 988 में 0.37 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ पर पारा लगाकर व निर्माण कर अतिक्रमण किया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलान्ट को सुना जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड़ न होकर अपीलांट की खातेदारी भूमि है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा भूमि ग्राम ढाणी मीनावाली तन संजयनगर ने खसरा नम्बर 988 में 0.37 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ पर पारा लगाकर व निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना बताया गया है। अपीलांट का कथन रहा है कि विवादित भूमि उनकी पैत्रिक खातेदारी भूमि रही है जिसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने से पूर्व वर्षों से काश्त कर रहे हैं। भूमि की किस्म गै.मु.पहाड़ गलत रूप से दर्ज की गई है। मुताबिक खसरा गिरदावरी उक्त जमीन काश्त की जमीन है। अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा काश्त के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 1992 से पेनल्टी रसीद व धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस आदि प्रस्तुत किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपने निर्णय में अपीलांट के पुराने कब्जे काश्त एवं पेनल्टी रसीद व धारा 91 एल.आर.एकट के नोटिस, अपीलांट के जवाब आदि के संदर्भ में कोई विवेचना नहीं की गई। ऐसी सूरत में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2021 उनवानी सरकार बनाम उमरावसिंह मुकदमा नम्बर 190/2020 निरस्त की जाती है। प्रकरण इन निर्देशों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:41 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार स्वयं विवादित भूमि का मौका निरीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये उनके द्वारा विवादित भूमि के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:41 IST
Reason: SelfAttested